निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 571)     पटना, शुक्रवार, 15 मई 2015

### वाणिज्य–कर विभाग

### अधिसूचनाएं
**15 मई 2015**

एस०ओ० 76, दिनांक 15 मई 2015––बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम, 16/1993) की धारा–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इसके साथ उपाबद्ध तालिका के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट आयातक के वर्ग को, उक्त तालिका के तदस्थानी कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट शर्त्तों एवं निर्बंधन के अध्यधीन, प्रवेश कर के उद्ग्रहण से विमुक्त करते हैं:–

| क्र० सं० | आयातक के वर्ग | शर्तें एवं निर्बंधन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | राज्य के 16 जिले, यथा– अररिया, बेगुसराय, बक्सर, मोतिहारी, दरभंगा, भभुआ, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, सासाराम, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं हाजीपुर के सिविल सर्जन कार्यालय | (i) आयातित वैक्सिन भान (बोलेरो गाड़ियों) भारत सरकार के Universal Immunization Programme के अधीन मुफ्त प्राप्त किया जाएगा।<br>(ii) आयातित वैक्सिन भान (बोलेरो गाड़ियों) का उपयोग पुनर्बिक्री के लिए नहीं किया जाएगा।<br>(iii) यह विमुक्ति दिनांक 31.03.2016 तक वैध होगी। |

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०स०:– बिक्री–कर/विमुक्ति–02/2015–2120)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

**15 मई 2015**

एस०ओ० 77—एस०ओ० 76, दिनांक 15 मई 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री–कर/विमुक्ति–02/2015–2121)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

*The 15th May 2015*

S.O. 76, dated 15th May 2015—In exercise of the powers conferred by section 6 the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, use and sale therein Act, 1993 (Act. 16 of 1993) The Governor of Bihar is pleased to exempt the class of importers specified in column number (2) of the Table appended hereto from the levy of entry tax subject to the conditions and restrictions specified in the corresponding column number (3) of the said Table:-

| **Sl. No.** | **Class of importers** | **Conditions and Restriction** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 16 Civil Surgeon Offices of the State namely Araria, Begusrai, Buxar, Motihari, Darbhanga, Bhabhua, Katihar, Khagaria, Kishanganj, Madhepura, Madhubani, Patna, Sasaram, Samastipur, Sitamarhi and Hajipur | (i) Imported Vaccine Van (Bolero Vehicle) shall be received free of cost under Universal Immunization Programme of Government of India.<br>(ii) Imported Vaccine Van (Bolero Vehicle) shall not be used for resale.<br>(iii) This exemption shall be valid till 31.03.2016. |

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[(File No.Bikri-kar/Bimukti-02/2015-2120)]
By order of the Governor of Bihar,
RAVI MITAL,
*Commissioner-cum-Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 571-571+50-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**